प्रेस नोट

सराहनीय कार्य, कानपुर देहात
दिनांक- 29.10.2026

- **थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा अवैध पटाखों के भण्डारण/ बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 720 किलोग्राम अवैध पटाखों सहित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अवैध पटाखे के भण्डारण /बिक्री हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत, दिनांक 29.10.2026 को थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अवैध पटाखों के भंडारण/ बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 25 पैकेट व 10 गत्तो में रखे व 06 बोरी पटाखा/फुलझड़ी/विस्फोटक सामग्री कुल वजन 720 कि0ग्रा0 अवैध पटाखों के साथ अभियुक्त संजय कुमार तिवारी पुत्र रमेश तिवारी निवासी हासेमऊ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को कानपुर–झाँसी हाइवे के किनारे ग्राम हासेमऊ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात स्थित अभियुक्त के मकान में बनी दुकान से पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामद पटाखों को नियमानुसार थाना परिसर में एकांत/सुरक्षित स्थान पर उचित निगरानी में रखवाया गया है। अवैध पटाखों की बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 343/2026, धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम, 1884 बनाम संजय कुमार तिवारी उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. संजय कुमार तिवारी पुत्र रमेश तिवारी उम्र करीब 41 वर्ष निवासी हासेमऊ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

बरामदगी-

1. 25 पैकेट व 10 गत्तों में व 06 बोरी पटाखा/फुलझड़ी/विस्फोटक सामग्री कुल वजन 720 कि0ग्रा0 अवैध पटाखे।

अभियुक्त संजय कुमारी तिवारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0343/2026 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम 1884 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 218/14 धारा 420/467/468/471 भादवि0 व धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम
3. मु0अ0सं0 329/14 धारा 3 गैंगस्टर अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अतेन्द्र कुमार
2. उ0नि0 कपिल चाहर
3. हे0का0 गजेन्द्र प्रताप सिंह
4. का0 हेमन्त
5. का0 सोबेन्द्र
6. चालक का0 1098 अमित कुमार
7. का0 राहुल कुमार